आदेश की क्रम सं0 और तारीख	झारखण्ड सरकार **उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह** जमाबंदी रद्द वाद सं0 201/18–19 2019 राज्य –बनाम– नुनुलाल बैठा
1	2
13.09.2019	अभिलेख उपस्थापित। मौजा रूकोटांड, थाना सं0 443, खाता नं0 31, प्लॉट सं0 646, रकवा 30.50 एकड़, किस्म गैर–मजरूआ खास भूमि का BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के तहत श्री नुनुलाल बैठा के नाम से कायम संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा के साथ अभिलेख अपर–समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा प्राप्त हुआ है। उक्त भूमि पर कायम संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह–सह–अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह तथा अंचल अधिकारी, गाण्डेय द्वारा भी की गई है। वाद की संक्षिप्त विवरणी इस प्रकार है :– झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0, दिनांक 13.05.2016 सह पठित श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, रा0भू0मु0 विभाग का पत्रांक 3 खा0म0नीति 119/85/2308/रा0, दिनांक 03.09.1985 एवं सह पठित राजस्व विभागीय परिपत्र सं0 914/रा0, दिनांक 09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैर–मजरूआ खास भूमि की कायम की गई जमाबंदियों की जॉच के क्रम में अंचल अधिकारी, गाण्डेय द्वारा मौजा–रूकोटांड, थाना 443, खाता सं0 31, प्लॉट सं0 646, रकवा 30.50 एकड़, किस्म गैर–मजरूआ खास भूमि जिसकी जमाबंदी नुनुलाल बैठा के नाम से कायम है संदेहास्पद/अवैद्य पाई गई। उक्त जमाबंदी पंजी।। के जिल्द सं0 01 के पृष्ठ सं0 22 पर संदिग्ध पाई गई। जमाबंदी में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त नहीं है। उक्त के आलोक में अंचल अधिकारी, गाण्डेय द्वारा अवैद्य/संदेहास्पद कायम जमाबंदी को BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द करने की अनुशंसा भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरडीह को की गई। उक्त आदेश को भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, गिरिडीह तथा अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह द्वारा संपुष्ट किया गया। अपर समाहर्त्ता, गिरिडीह ने उल्लेख किया है कि वादगत भूमि किस्म जंगल झाड़ गैर–मजरूआ खास जमीन है। Forest Conservation Act, 1980 **दिनांक 25.10.1980** से प्रभावी है। WP(c) No. 202 of 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित न्यायादेश के आलोक में 25.10.1980 से पहले राज्य सरकार के बिना पूर्वानुमति एवं दिनांक 25.10.1980 से भारत सरकार के बिना अनुमति जंगल जमीन का हस्तांतरण Non Forest Activity हेतु नहीं किया जा सकता है। **BLR Act, 1950 की धारा 4(h) के प्रावधान निम्नवत है :–** The Collector shall have power to make inquiries in respect of any transfer including the settlement or lease of any land comprised in such estate or tenure or the transfer of any kind of interest in any building used primarily as office or cutchery for the collection of rent of such estate or tenure or part thereof, [* * *] and if he is satisfied that such transfer was made [at any time after the first day of January, 1946, with the object of defeating any provisions of this Act or causing loss to the State or obtaining higher compensation thereunder the Collector may, after giving reasonable notice to the parties concerned to appear and be heard [* * *] annul such transfer,

dispossess the person claiming under it and take possession of such property on such terms as may appear to the Collector to be fair and equitable:]

[Provided that an appeal against an order of the Collector under this clause if preferred within sixty days of such order, shall lie to the prescribed authority not below the rank of the Collector of a district who shall dispose of the same according to the prescribed procedure:]

Provided further that no order of annulling a transfer shall take effect nor shall possession be taken in pursuance of it unless such an order has been confirmed by the State Government.]

अंचल अधिकारी, गाण्डेय के पत्रांक 1069 दिनांक 14.08.2019 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि पंजी।। में श्री नुनुलाल बैठा के नाम से दर्ज जमाबंदी एवं लगान रसीद निर्गत करने से संबंधित प्रतिवेदन निम्नवत है :–

क0सं0	मौजा/थाना सं0	पंजी।। का पेज सं0	जमाबंदी रैयत का नाम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	पंजी।। में दर्ज रसीद सं0	तिथि
1.	रूकोटांड/443	22/1	नुनुलाल बैठा पिता भातु बैठा	31	646	30.50ए0	886789 721994 309331 892676 892930 3392296	03.03.62 05.01.77 14.03.85 25.03.96 15.03.99 13.07.08

अंचल कार्यालय द्वारा पंजी।। में अंकित उक्त लगान रसीद सं0 का कार्यालय में उपलब्ध लगान रसीद के कार्यालय प्रति से मिलान किया गया। उक्त लगान रसीद सं0 से संबंधित लगान रसीद के कार्यालय प्रति कार्यालय में काफी खोजबीन के बावजूद भी उपलब्ध नहीं हो सका। पंजी।। के अवलोकन एवं उक्त के आलोक में स्पष्ट होता है कि पंजी।। में अवैद्य रूप से लगान रसीद की प्रविष्टि की गई है।

हल्का राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक एवं अंचल अधिकारी, गाण्डेय द्वारा जॉच प्रतिवेदन में निम्न तथ्य प्रकाशित किया गया हैं :–

1. यह कि, जमाबंदीधारक के वंशज अवैद्य जमाबंदी धारक संकल्प सं0 6144, दिनांक 21.12.2017 के अनुसार सुयोग्य श्रेणी(क),(ख),(ज) में नहीं आते है एवं भूमिहीन की श्रेणी में भी नहीं आते है।
2. यह कि, जमाबंदीधारी या उनके वंशजों का रकवा 30.50 एकड़ जमीन पर दखल कब्जा है परन्तु उसपर न ही मकान अवस्थित है और न ही जोतआबाद कर रहे है।
3. यह कि, प्रस्तावित भूमि खाता सं0 31, प्लॉट सं0 646, कुल रकवा 30.50 एकड़ प्रतिबंधित श्रेणी के गैर–मजरूआ खास वन भूमि है।

4. यह कि, प्रस्तावित भूमि शासकीय परिसरों/संस्थानों के आस–पास 150मीटर के अंदर की भूमि है।
5. यह कि, प्रस्तावित भूमि राज्य पक्ष, उच्च पथ/मुख्य मार्ग के दोनों तरफ 150–150मीटर के अंदर की भूमि है।
6. यह कि, मौजा रूकोटांड, थाना सं0 443, खाता नं0 31, प्लॉट सं0 646, कुल रकवा 30.50 एकड़ भूमि की चल रही जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की गई है।

विपक्षी द्वारा नोटिश तामिला होने के बावजूद न तो W/S दाखिल किया गया और न ही अपना पक्ष रखा गया।

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गिरिडीह, पूर्वी वन प्रमण्डल द्वारा निम्न तथ्य प्रतिवेदित किया गया है :–

ग्राम मनियाडीह के ग्रामीण किसान एवं जनता द्वारा प्राप्त शिकायत पत्र में नुनुलाल बैठा पिता भातु बैठा, ग्राम मनियाडीह, पंचाचत मेदनीसारे, प्रखण्ड गाण्डेय, जिला गिरिडीह के नाम पर अवैद्य रूप से चार मौजों में कुल 102 एकड़ 77 डी0 जमीन बंदोबस्ती हो रहा है, जिसमें से कुछ जमीन का रसीद निर्गत हो चुका है और कुछ प्रकिया में है। शिकायत पत्र में वर्णित मौजा से संबंधित प्लॉटों का प्रमण्डलीय अभिलेख के आधार पर जॉच की गयी जिसमें निम्नवत प्लॉटों के वनभूमि की जमाबंदी म्यूटेशन आदि यदि हुई है तो उसे अविलम्ब रद्द करने हेतु अनुरोध किया गया है :–

क्र0सं0	मौजा का नाम	थाना/थाना सं0	प्लॉट सं0	रकवा (एकड़ में)
1.	रूकोटांड़	गाण्डेय–443	646	30.28
2.	कर्णपुरा	गाण्डेय–422	11	53.00
3	आहरडीह	गाण्डेय–452	01	वनभूमि नहीं है।
4.	मनियाडीह	गाण्डेय–445	27	15.60
			99	3.16

विचारण व निर्णय

सरकारी अधिवक्ता, गिरिडीह के पक्ष को सुनने एवं सम्पूर्ण अभिलेख के साथ संलग्न कागजात के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होता है :–

1. यह कि, श्री नुनुलाल बैठा, पिता भातु बैठा, मौजा रूकोटांड, थाना सं0 443, खाता नं0 31, प्लॉट सं0 646, रकवा 30.50 एकड़, भूमि वन भूमि गैर–मजरूआ खास है जिसकी जमाबंदी 1961–62 में श्री नुनुलाल बैठा को कायम हुई है।
2. यह कि, वादगत भूमि के जमाबंदी में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त नहीं है। अंचल अधिकारी, गाण्डेय के प्रतिवेदन के अनुसार पंजी।। में प्रविष्टि अवैद्य/संदेहास्पद है एवं निर्गत लगान रसीद फर्जी पाया गया है।
3. यह कि, WP(c) No. 202 of 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के प्रतिकूल गैर–मजरूआ खास वन भूमि के जमाबंदी का मामला है। उक्त न्यायादेश के आलोक में 25.10.1980 से पहले राज्य सरकार के बिना पूर्वानुमति एवं दिनांक 25.10.1980 से भारत सरकार के बिना अनुमति जंगल जमीन का हस्तांतरण Non Forest Activity हेतु नहीं किया जा सकता है।

4. यह कि, वादगत भूमि मौजा रूकोटांड, थाना सं0 443, खाता नं0 31, प्लॉट सं0 646, रकवा 30.50 एकड़ गैर–मजरूआ खास भूमि को अंचल अधिकारी, गाण्डेय के पारित आदेश दिनांक 20.10.18 द्वारा संदेहस्पाद/अवैद्य जमाबंदी को बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम,1950 की धारा 4(h) के तहत रद्द करने योग्य बताया गया है, जो न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

उपरोक्त विचारणीय तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध दस्तावेजों के गहन अध्ययन एवं सूक्ष्म अवलोकनोपरांत बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(h) के तहत श्री नुनुलाल बैठा पिता भातु बैठा, मौजा रूकोटांड, थाना सं0 443, खाता नं0 31, प्लॉट सं0 646, रकवा 30.50 एकड की अवैद्य/संदेहास्पद जमाबंदी को रद्द किया जाता है। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। अभिलेख संपुष्टि हेतु आयुक्त न्यायालय, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग के माध्यम से राजस्व पर्षद, झारखण्ड, रॉची को भेजी जाय।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।

जिला दण्डाधिकारी
–सह–
उपायुक्त, गिरिडीह।